शासनादेश संख्या-15/2017/बी-2-1259/दस-2017-2/2017
पंचायती राज अनु0-3 की पत्रा.सं.-100(15)/2015 टी0सी0

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 28 अगस्त, 2017

विषयः-चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश की जिला पंचायतों को सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-10/2017/बी-2-906/दस-2017-2/2017, दिनांक 22 मई, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-61 में प्रदेश की जिला पंचायतों को दी जाने वाली सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रूपये 185250.00 लाख की 94.85 प्रतिशत धनराशि रूपये 175709.62 लाख में से लेखानुदान अवधि (अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एवं अगस्त) की स्वीकृत धनराशि रूपये 73212.34 लाख को घटाने के पश्चात अवशेष धनराशि रूपये 102497.28 लाख (रूपया एक हजार चौबीस करोड सत्तानवे लाख अटठाईस हजार मात्र) को संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार जिला पंचायतों को दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

निकाय का नाम	स्वीकृत धनराशि
जिला पंचायतें	102497.28 लाख

2- संलग्न सूची में उल्लिखित जिला पंचायतों को धनराशि तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दी जा रही है।

3- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही हैः-

(1) जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शासनादेश के साथ संलग्न सूची में इंगित जिले के सम्मुख कॉलम-3 में जिला पंचायतों के लिये आवंटित धनराशि के अनुसार, **सात बराबर किश्तों में (माह सितम्बर, 2017 से माह मार्च, 2018 तक) कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ** से आहरित कर ई-पेमेंट के द्वारा सीधे जिला पंचायतों के खाते में जमा की जायेगी। निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ई-पेमेंट हेतु जिला पंचायतों का बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.डी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है वह सही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन गठित जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक को प्रेषित की जायेगी जो अपने स्तर से धनराशि के आहरण की संहत सूचना पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(4) पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अंतर्गत लेखाशीर्षक ''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन'' के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-15/2017/बी-2-1259(1)/दस-2017-2/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
4- पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
9- उपनिदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
10- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
11- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), इन्दिरा भवन, 10 वां तल, लखनऊ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-15/2017/बी-2-1259/दस-2017-2/2017 दिनांक 28 अगस्त, 2017 का संलग्नक

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में जिला पंचायतों हेतु व्यवस्थित धनराशि का आवंटन

3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-

196-जिला पंचायतों को सहायता

03- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत समनुदेशन -

0301- सामान्य समनुदेशन -

28- समनुदेशन

अनुदान संख्या-61 (धनराशि लाख रूपये में)

क्रम संख्या	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदशेन
1	2	3
1	मेरठ	1379.61
2	बागपत	1039.32
3	गाजियाबाद	1236.12
4	गौतमबुद्धनगर	1020.87
5	बुलन्दशहर	1680.96
6	हापुड	1267.89
7	सहारनपुर	1617.41
8	मुजफ्फरनगर	1458.54
9	शामली	920.43
10	आगरा	1659.43
11	फिरोजाबाद	1248.42
12	मथुरा	1305.82
13	मैनपुरी	1129.52
14	अलीगढ़	1577.43
15	हाथरस	1078.27
16	एटा	1065.97
17	कासगज	934.77
18	मुरादाबाद	1154.12
19	अमरोहा	1051.62
20	रामपुर	1144.89
21	बिजनौर	1843.93

अनुदान संख्या-61 (धनराशि लाख रूपये में)

क्रम संख्या	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदशेन
1	2	3
22	सम्भल	1152.07
23	बरेली	1690.18
24	बदायू	1493.39
25	शाहजहापुर	1445.21
26	पीलीभीत	1220.74
27	लखनऊ	1466.74
28	रायबरेली	1320.16
29	सीतापुर	2326.69
30	हरदोई	2088.89
31	खीरी	2107.34
32	उन्नाव	1620.48
33	बस्ती	1329.39
34	सिद्धाथेनगर	1296.59
35	सन्त कबीरनगर	1026.00
36	गोरखपुर	1932.07
37	देवरिया	1521.06
38	कुशीनगर	1731.18
39	महाराजगज	1381.66
40	फैजाबाद	1377.56
41	बाराबकी	1782.43
42	सुल्तानपुर	1403.19
43	अम्बेडकरनगर	1320.16
44	अमेठी	1421.64
45	गोण्डा	1711.70
46	बलरामपुर	1128.49
47	बहराइच	1598.96
48	श्रावस्ती	726.71
49	मिजोपुर	1444.19
50	सत रविदास नगर	975.77
51	सोनभद्र	1439.06
52	वाराणसी	1355.01

अनुदान संख्या-61 (धनराशि लाख रूपये में)

क्रम संख्या	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदशेन
1	2	3
53	चन्दौली	1112.10
54	गाजीपुर	1788.58
55	जौनपुर	2244.69
56	इलाहाबाद	2437.39
57	कौशाम्बी	1108.00
58	प्रतापगढ	1656.36
59	फतेहपुर	1431.89
60	आजमगढ	2264.16
61	मऊ	1133.62
62	बलिया	1578.46
63	कानपुर नगर	1079.30
64	कानपुर देहात	1284.29
65	फरूखाबाद	1069.05
66	इटावा	1021.90
67	कन्नौज	1028.05
68	औरैय्या	995.25
69	झासी	1070.07
70	जालौन	959.37
71	ललितपुर	970.65
72	हमीरपुर	839.45
73	बादा	1071.10
74	चित्रकूट	903.00
75	महोबा	800.50
		102497.28

रूपये एक हजार चौबीस करोड सत्तानवे लाख अटठाइस हजार मात्र